भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2505

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता

2505. श्री जी. कुमार नायकः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एसटी) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए चयन संबंधी आवश्यकताओं की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों तथा निष्पादित चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए समय-सीमा और अपनाई गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाली कंपनियों को ब्याज दरों तथा निवेश पर प्रतिफल सहित प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए जागरूकता पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश भर में अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए योजना के बजट आवंटन को बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एसटी) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए पात्रता मानदंड का ब्यौरा https://vcfst.in/index.html पर उपलब्ध है।

(ख) 10 फरवरी 2024 को योजना के शुभारंभ के बाद, आईएफसीआई वीसीएफ लिमिटेड को कुल 17 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदनों को दो स्तरीय समितियों अर्थात् स्क्रीनिंग

(जांच) समिति और निवेश समिति के माध्यम से संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी आवेदनों पर स्क्रीनिंग (जांच) समिति में विचार किया जाता है और स्क्रीनिंग (जांच) समिति से अनुशंसित आवेदनों को बाद में निवेश समिति में प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित कम्पनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उद्योग	राज्य	स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये)	स्वीकृति वर्ष
1	हेमल फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	छत्तीसगढ़	3.41	2024-25
2	हार्लेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	तेलंगाना	5.00	2024-25

(घ) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वीसीएफ-एसटी के अंतर्गत कंपनियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 10.00 लाख रुपये से 5.00 करोड़ रुपये के बीच है। वित्तीय सहायता रियायती दर/निवेश पर प्रतिफल (रिटर्न) 4% प्रति वर्ष (महिलाओं/दिव्यांग अजजा उद्यमियों के लिए 3.75%) की दर से प्रदान की जाती है।

(ङ) मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार के साथ-साथ विभिन्न सम्मेलनों/बैठकों के आयोजन, सोशल मीडिया और वेबिनार के माध्यम से उद्यमियों को जोड़ने के माध्यम से अजजा उद्यमियों के बीच निधि के बारे में नियमित जागरूकता प्रयास किए जाते हैं। अब तक किए गए कुछ प्रयासों का उल्लेख नीचे किया गया है:

वेबिनार

i. उनके इनक्यूबेशन सेंटर (उद्भवन केन्द्र)/इनोवेशन (नवाचार) पार्क में संभावित अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच योजना की जानकारी प्रसारित करने के लिए 11 राज्यों में 22 टीबीआई के साथ आयोजित किया गया।

ii. 4 राज्य एजेंसियों के साथ उनकी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से संभावित अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए आयोजित किया गया ।

iii. योजना के दिशा-निर्देशों का प्रसार करने और जागरूकता सृजित करने के लिए 4 औद्योगिक निकायों के साथ आयोजित किया गया।

iv. पूर्वोत्तर राज्य में प्रशिक्षण केंद्रों के साथ आयोजित किया गया।

वास्तविक आउटरीच

i. एमएसएमई मंत्रालय और एनएसआईसी, एनएसएसएच तथा सीआईआई और डीआईसीसीआई सहित उद्योग निकायों के साथ 6 वास्तविक बैठकों में शामिल हुए/बैठकें आयोजित की गई हैं।

ii. स्टार्टअप इंडिया चैप्टर के साथ 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें स्टार्टअप तमिलनाडु भी शामिल है।

iii. उद्यमियों को योजना के बारे में जानकारी देने, संदेह निवारण सत्र आयोजित करने तथा आवेदन दाखिल करने में सहायता करने के लिए विभिन्न वेबिनारों का आयोजन।

iv. आईएफसीआई वेंचर जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के सहयोग से उद्यम पूंजीपतियों और निजी इक्विटी निवेशकों को आमंत्रित करके कार्यक्रम/संगोष्ठी को आयोजित कर रहा है ताकि प्रमुख उद्यम पूंजीपतियों और प्रभाव निवेशकों को एकसाथ लाकर जनजातीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जा सके।

v. योजना के बारे में जागरूकता प्रदान करने तथा अजजा उद्यमियों से जुड़ने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ, एडवांटेज असम 2.0 आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी।

सोशल मीडिया फ्रंट

i. बाहरी एजेंसी के सहयोग से विभिन्न हैंडलों में स्थिर पोस्ट, शिक्षण और शैक्षिक सामग्री सहित विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट किए गए।

ii. इस योजना को स्टार्ट अप इंडिया के इन्वेस्टर्स कनेक्ट पोर्टल पर भी पंजीकृत किया गया और मंच के माध्यम से कई पोस्ट प्रकाशित किए गए।

(च) वीसीएफ-एसटी योजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

*****